न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका। अर्जेन्ट संख्या—01/2023 धारा 144द0प्र0स0 प्रदीप मिंज वनाम निर्मल मांझी

आदेश

S. No.	Date of order of proceedi ng	Order with signature of the court							Office action taken with date	
	17/03/023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र पर यह प्रक्रिया धारा 144द0प्र0स0 प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :								
		ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा ए० में	ব0	द0	पू० प्लौट	प0 प्लौट	
			03	296 / 857	0.60	संजोत मांझी	प्र0प0 नीज	296 का शेष भूमि	प्साट 322 का भूमि	
		गड़ीया	03	296 / 829	0.60	संजोत मांझी	नीज प्रथम पक्ष	प्लौट 296 / 85 7 का भाग	प्लौट 322 नौट की भूमि 7 टाण सन	
		1957–1958 द्वारा भगवता मिज पर्देष पूर्वा उसे पं 'रु								ा ा ा ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने

समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा तथा श्रीमान अचल अधिकारी भण्डारया न विधिसम्मत ARCA समाहता भूम सुधार गढ़वा तथा आगान जनर जाय मूमि के साथ-साथ अन्य भूमि जॉच पड़ताल के बाद जंगली भुईहर के नाम पर उक्त भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि जाय पड़ताल क बाद जगला गुरुवर क माध्यम से बन्दोवस्त कर दिया गया साथ ही की बन्दोवस्ती वाद सं0 24/98-99 के माध्यम से बन्दोवस्त कर दिया गया साथ ही . 64 साथ उक्त रैयत जंगली भुईहर के नाम पर बन्दोवस्ती परवाना भी निर्गत भी कर दिया। उक्त रैयत साल दर साल मालगुजारी जमा कर सरकारी सिरिश्ते मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। हर साल खेतीबारी करते आ रहे है वर्तमान में उक्त जमीन द्वितीय पक्षकारों के हिस्से में है जिसके दखल कब्जा में पूर्ण रूप से बरकरार है। प्रथम पक्षकार के सदस्य ने श्रीमान के न्यायालय में ग्राम गड़ीया थाना मण्डरिया जिला गढ़वा के जिस खाता संख्या 03 पुराना प्लौट के साथ-साथ प्लौट 296/857 रकबा 0.60 एकड़ चौहदी उ0 संजोत माझी द0 प्रथम पक्ष नीज पू० प्लॉट नं0 296 का शेष भाग प0 प्लौट 322 का शेष भागं खाता संख्या 03 प्लौट पुराना के साथ-साथ नया प्लौट 296/829 रकबा 0.60 एकड़ चौहदी उ0 संजोत मांझी द0 प्रथम पक्ष नीज पू० प्लौट नं० 296/857 का भाग प० प्लौट 322 का अपने आवेदन में दर्शाया गया है। यह अस्पष्ट है इससे द्वितीय पक्षकारों का कोई सरोकार नहीं है। अन्त अनुरोध करते है कि वाद की कार्यवाही तत्काल खारिज की जाए। साथ ही साथ प्रथम पक्षकार को द्वितिय पक्षकारों की जमीन पर जाने से रोकने की कृपा की जाए। अतः वाद की धारा 144द0प्र0स0 की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। अनुमण्डल देखाधिकारी रंका ।